

पत्रांक: जी.एस.टी./2019-20/

२१० /वाणिज्य कर

कार्यालय- कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ० प्र०।

(जी.एस.टी. अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक: ०३ मई, 2019

५५

—: शुद्धि पत्र :—

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में कतिपय सुसंगत धाराओं के प्रयोजनार्थ सचल दल इकाई में तैनात राज्य कर के उपायुक्त/सहायक आयुक्त/राज्य कर अधिकारी को उचित अधिकारी (Proper Officer) नामित किये जाने विषयक कार्यालय आदेश संख्या-172 दिनांक 27.05.2019 द्वारा पूर्व में जारी कार्यालय आदेश संख्या-278/जी.एस.टी./2017-18/फाइल नं०-118/राज्य कर दिनांक 01.07.2017 को संशोधित करते हुए निम्न व्यवस्था की गयी है—

क० सं०	अधिकारी का पदनाम	उ०प्र० माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा
1.	2.	3.
7.	1. सचल दल इकाई में तैनात राज्य कर के उपायुक्त 2. सचल दल इकाई में तैनात राज्य कर के सहायक आयुक्त 3. सचल दल इकाई में तैनात राज्य कर अधिकारी	54, 67(11), 68, 70, 126, 129, 130

उक्त कार्यालय आदेश के क्रम संख्या-7 के सम्मुख कालम-3 में धारा-127 का लिपिकीय त्रुटिवश अंकन रह गया है। अतएव उक्त कार्यालय आदेश संख्या-172 दिनांक 27.05.2019 में अंकित तालिका के क्रम संख्या-7 को निम्नवत् समझा व पढ़ा जाये:-

क० सं०	अधिकारी का पदनाम	उ०प्र० माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा
1.	2.	3.
7.	1. सचल दल इकाई में तैनात राज्य कर के उपायुक्त 2. सचल दल इकाई में तैनात राज्य कर के सहायक आयुक्त 3. सचल दल इकाई में तैनात राज्य कर अधिकारी	54, 67(11), 68, 70, 126, 127, 129, 130

कार्यालय आदेश संख्या-172 दिनांक 27.05.2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

—A—
(अमृता सोनी)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

०/८

पृ०प०सं०: / २१^० / दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, राज्य कर एवं मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश शासन।
2. विशेष सचिव, संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त जोनल अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
4. अपर निदेशक, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
5. अपर आयुक्त, ग्रेड-1/ग्रेड-2, उच्च न्यायालय कार्य०, राज्य कर, इलाहाबाद/लखनऊ।
6. मुख्यालय के समस्त अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त, राज्य कर।
7. संयुक्त आयुक्त (स्थापना) राज्य कर, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि तदनुसार अपने अभिलेख में सम्मिलित करें एवं उप आयुक्त/सहायक आयुक्त, राज्य कर/राज्य कर अधिकारी, राज्य कर की तैनाती अथवा प्रभार दिये जाने की कार्यवाही उपरोक्तानुसार ही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
8. समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक)/(वि०अनु०शा०)/(टैक्स ऑडिट) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त उप आयुक्त/सहायक आयुक्त/राज्य कर अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
10. संयुक्त आयुक्त, (उच्चतम न्यायालय कार्य०)/(उच्च न्यायालय कार्य०), राज्य कर, गाजियाबाद/लखनऊ/इलाहाबाद।
11. मुख्यालय के समस्त अनुभाग/अनुभाग प्रभारी।
12. मैनुअल अनुभाग को 5 प्रतियाँ।


एडीशनल कमिशनर (जी.एस.टी.)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।